

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ खंडपीठ****आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2278/2026**

विजय बहादुर यादव उर्फ विजय यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री अमित कुमार सिंह, श्री विरिजेंद्र कुमार सिंह,
श्री विश्वदीप सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13**माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता की ओर से वकालतनामा दाखिल करने वाले अधिवक्ता श्री रमाकर शुक्ला (जिसे पत्रावली पर लिया गया है) को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483/दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत प्रस्तुत इस प्रार्थनापत्र द्वारा आवेदक ने पुलिस थाना-चंदा, जिला-सुल्तानपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 461/2025, जो कि भारतीय न्याय संहिता धारा की 140(1), 103(1), 61(2), 238 एवं 3(5) [जिनकी तत्स्थानी पूर्ववर्ती धाराएं क्रमशः 364-ए, 302, 120-ख, 201 और 34 भारतीय दंड संहिता हैं] के अंतर्गत दर्ज है, के वाद में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

3. वर्तमान वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 07.12.2025 को लगभग 13.17 बजे, भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(1)/103(1)/61(2)/238/3(5) [जिनकी तत्स्थानी पूर्ववर्ती धाराएं क्रमशः 364-ए, 302, 120-ख, 201 और 34 भारतीय दंड संहिता हैं] के अंतर्गत वर्तमान आवेदक सहित दस नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि सूचनाकर्ता का चचेरा भाई, अर्थात् अमन यादव, जिसकी आयु लगभग 21 वर्ष है, सूचनाकर्ता को उसके घर से लेने आया था। उसने सूचनाकर्ता को फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया जा सका और इसीलिए, सूचनाकर्ता ने अमन यादव (मृतक) से उसके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया और कुछ समय बाद, यह पाया गया कि मोबाइल बंद है, तब वह अमन यादव की तलाश में अपने घर से निकला और ईशीपुर फ्लाईओवर के पास, उसे मृतक (अमन यादव) की लावारिस मोटरसाइकिल मिली और उसे वहां के आसपास के कुछ लोगों से यह जानकारी मिली कि शाम लगभग 07.45 बजे अटिंगा कार सवार कुछ लोग एक व्यक्ति को मारते-पीटते हुए ले गए और यह भी बताया गया कि उन व्यक्तियों के नाम वर्तमान आवेदक सहित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं। उन्होंने पारसनाथ इंटर कॉलेज में उसके चचेरे भाई की हत्या कर दी थी और उसके शव को गोमती नदी में फेंक दिया था।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की कहानी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत सूचनाकर्ता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, उसने वहां के आसपास के लोगों से जानकारी एकत्र की, जहां लावारिस मोटरसाइकिल मिली थी और उन्होंने अभियुक्तों के नाम बताए थे। पुलिस ने उक्त बयान के आधार पर उस क्षेत्र के वीडियो फुटेज की जांच की और पांच व्यक्तियों के बयान दर्ज किए, जिन्होंने घटना को देखा था और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना स्थल के आसपास थे, लेकिन उन पांच व्यक्तियों में से किसी ने भी आवेदक का नाम नहीं लिया है। उन्होंने अपने बयान में अन्य छह सह-अभियुक्तों के नाम लिए हैं।

5. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का नाम पहली बार श्री उमा शंकर नामक एक व्यक्ति के बयान में सामने आया है, जिसने स्वयं को मृतक (अमन यादव) का चाचा बताया है और उसका बयान घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में दर्ज किया गया था।

6. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का तीन वादों का आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण जमानत प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र के पैरा 19 में दिया गया है, जिनमें से दो वादों में वह पहले ही जमानत पर रिहा है। जमानत आदेशों की प्रतियां पेपर बुक के साथ पहले ही संलग्न की जा चुकी हैं और एक वाद में, उसे आज तक कोई नोटिस या समन प्राप्त नहीं हुआ है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमाकर शुक्ला ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् उमा शंकर के बयान में आवेदक का नाम है।

8. यह भी तर्क दिया गया है कि उमा शंकर ने वाहन की रोशनी में अपने भतीजे मृतक अमन यादव को पीटने की घटना देखी थी, उसने सभी व्यक्तियों को पहचान लिया था, अतः आवेदक के विरुद्ध भी अपराध बनता है।

9. प्रत्युत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का बयान घटना के अठारह दिन बाद दर्ज किया गया था और यदि वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था और उसने घटना के दिन ही मृतक अमन यादव के परिवार के सदस्य को घटना का विवरण दिया था, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल क्यों दर्ज नहीं कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन दोपहर लगभग 1.00 बजे दर्ज कराई गई थी। वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था अन्यथा सूचनाकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट और अपने बयान में उक्त तथ्य का उल्लेख अवश्य किया होता, अतः उसे घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है अन्यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

10. संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और वाद की पत्रावली का अनुशीलन करने के पश्चात, प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि जिन व्यक्तियों से सूचनाकर्ता को घटना के बारे में जानकारी मिली, पुलिस ने अन्वेषण के दौरान उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज से पांच व्यक्तियों के बयान दर्ज किए थे और उन व्यक्तियों ने अन्य छह सह-अभियुक्तों के नाम लिए थे,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लेकिन उनके द्वारा आवेदक का नाम नहीं लिया गया था। आवेदक का नाम पहली बार अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उमा शंकर (मृतक-अमन यादव के चाचा) के बयान में सामने आया, जो घटना के 18 दिन बाद दर्ज किया गया था और उसका बयान इस कारण से संदिग्ध प्रतीत होता है कि जब उसने घटना देखी थी और उसी समय घर लौटकर मृतक अमन यादव के पिता को इसकी सूचना दी थी, तो मृतक के पिता या अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उमा शंकर द्वारा तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई गई, जो प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बनाता है।

11. प्रथम दृष्टया, यह पाया गया है कि यह आवेदक को जमानत प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त वाद है। तदनुसार, यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

12. आवेदक विजय बहादुर यादव उर्फ विजय यादव को उपर्युक्त अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी(साक्षियों) पर दबाव नहीं बनाएगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vii) जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो आवेदक साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) आवेदक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

13. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

31 मार्च, 2026

नितेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय सूचनाकर्ता के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।